

सं. 1(12)/सीएलसीएसएस/विविध/फेक लोन/2020-21

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय

सातवां तल, ए विंग
निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 18 सितम्बर, 2020

धोखाधड़ी की चेतावनी

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की जानकारी में यह आया है कि कुछ आपराधिक तत्व मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सीधे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से ऋण दिलाने के बहाने लोगों से सम्पर्क कर रहे हैं और उनसे धन की वसूली कर रहे हैं।

एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार अपनी किसी भी प्रकार की क्रेडिट स्कीमों के लिए व्यक्तियों से सीधे सम्पर्क नहीं करता है। मंत्रालय की सभी क्रेडिट स्कीमों में केवल बैंकों/वित्तीय संस्थानों के जरिए कार्यान्वित की जाती हैं। एमएसएमई ऋण/क्रेडिट सुविधाओं के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को अपने नजदीकी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों से सम्पर्क करना चाहिए। एमएसएमई मंत्रालय की क्रेडिट स्कीमों का सम्पूर्ण ब्यौरा हमारी वेबसाइट अर्थात् <https://msme.gov.in>, <http://dcmsme.gov.in> तथा <https://champions.gov.in> पर उपलब्ध है।

एमएसएमई मंत्रालय उद्यमियों तथा जनसामान्य को आगाह करता है कि वे ऐसे धोखेबाजों द्वारा सीधे अथवा वेबसाइट/फोन कॉल आदि के जरिए की जाने वाली ऐसी पेशकशों का शिकार न बनें। एमएसएमई मंत्रालय उद्यमियों तथा जनसामान्य को यह भी सुझाव देता है कि ऐसे धोखेबाज व्यक्तियों/संस्थानों के सम्पर्क में आने से उनको वित्तीय नुकसान हो सकता है और मंत्रालय इसके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
